

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक -प.1(6)न्याय/2019 पार्ट

जयपुर, दिनांक 22 SEP 2020

--:अधिसूचना::--

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, एतद्वारा निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित पारिवारिक न्यायालयों के कॉलम संख्या 3 में वर्णित संबंधित जिला न्यायाधीश से स्थानान्तरित किये जाने वाले दीवानी वादों को शीघ्र निपटाने हेतु दीवानी वाद सुनने का अधिकार प्रदान करती है।

साथ ही मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या-59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित पारिवारिक न्यायालयों को स्थानान्तरित किये जाने वाले मोटर दुर्घटना दावों की सुनवाई हेतु मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है तथा उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके अधिकरण का पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त करती है-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	जिला
1	2	3
1.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 2, अजमेर	अजमेर
2.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 2, अलवर	अलवर
3.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 2, भरतपुर	भरतपुर
4.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 3, बीकानेर	बीकानेर
5.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 3, जोधपुर	जोधपुर
6.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 2, उदयपुर	उदयपुर

राज्यपाल के आदेश से

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/11/2020/1210

Date: 24/09/2020

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Courts.
4. Concerned Chief Judicial Magistrates.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
6. A.O.J. Computer Cell (for uploading the same on high court website), Rajasthan High Court, Jodhpur.

REGISTRAR (RULES)